



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 11.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 430/22 धारा 323/452/504/506/354/
354ख/342/427 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 430/22 धारा 323/452/504/506/354/354ख/342/427 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गोपाल पुत्र ओमपाल उर्फ सुखबीर निवासी करबा खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 शिवकुमार थाना खेकडा ।

2-का0 373 बबलू कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 11.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

यामीन पुत्र रहमू निवासी करबा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेश चन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।

2-का0 48 आकाश थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 11.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 69/23 धारा
147/148/323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 10.03.2023 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बसौद में अभियुक्तगण 1.राजू उर्फ राजवीर, 2.प्रकाश पुत्रगण श्रीचन्द, 3.नरेश पुत्र जयसिंह, 4.विकाश पुत्र प्रेम सिंह, 5.जोनी पुत्र नरेश, 6.रवि पुत्र प्रेम सिंह, 7.धीरज पुत्र जयकुमार, 8.पवन पुत्र ब्रह्म सिंह, 9.ब्रह्म सिंह पुत्र श्रीचन्द निवासीगण ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत आपस में गाली-



गलौच करते हुए मारपीट कर रहे हैं तथा एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं । इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 69/23 धारा 147/148/323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 69/23 धारा 147/148/323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-जोनी पुत्र नरेश निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-धीरज पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री चरण सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-है0का0 378 बलराज सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का0 48 आकाश थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 11.03.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू उर्फ परवेश पुत्र रामरतन निवासी ग्राम लहचौडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना चांदीनगर ।
- 2-का0 833 राहुल कुमार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनाँक 11.03.2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/2023 धारा 366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/2023 धारा 366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना दोघट ।
- 2-है0का0 124 कृष्णवीर सिंह थाना दोघट ।
- 3-म0का0 423 अमृता सिंह थाना दोघट ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 11.03.2023

थाना बिनौली पुलिस ने मु0अ0सं0 46/23 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित
एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2023 को थाना बिनौली पर श्री कुशलपाल पुत्र महावीर ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली ने सूचना दी कि अभियुक्त रमेशपाल पुत्र रणवीर निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से



मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 46/23 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रमेशपाल पुत्र रणवीर निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना बिनौली ।
- 2-का0 988 निशान्त कुमार थाना बिनौली ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 11.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 59/22 धारा 332/353/504 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.03.2023 को थाना रमाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 709-बी दिल्ली-सहारनपुर पर दो व्यक्ति शराब का सेवन कर रहे हैं, जहां से महिलायें व बच्चें भी



गुजर रहे हैं । प्राप्त सूचना पर थाना रमाला पुलिस मौके पर पहुंची तथा अभियुक्तों को सडक पर शराब पीने से मना किया तो अभियुक्तगण सरकारी कार्य में बाधा डालते गाली-गलौच करते हुए मारपीट पर उतारू होने लगे । इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 59/22 धारा 332/353/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 59/22 धारा 332/353/504 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-दिनेश पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-मोहित पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना रमाला ।

2-का0 1104 चक्रपाल थाना रमाला ।

3-का0 180 संजू कुमार थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 11.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर



अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्तभान उर्फ मझले पुत्र झोरू सिंह निवासी ग्राम अतारी कला थाना जेसनगर जनपद सैडोल मध्य प्रदेश।

हाल निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 05 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना छपरौली।

2-है0का0 115 पवन नागर थाना छपरौली।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 11.03.2023

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

यशपाल पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री रामकुमार थाना बालैनी ।

2- है०का० 219 अरुण कुमार थाना बालैनी ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 11-03-2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 200/23 धारा 308/504 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.03.2023 को वादी श्री ब्रह्मपाल पुत्र दल्ले सिंह निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.जयवीर, 2.काला पुत्रगण भोला, 3.जयवीर का लड़का नाम अज्ञात निवासीगण ग्राम ईदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करते हुए सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया जिससे उसे गंभीर चोट आयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 200/23 धारा 308/504 भादवि का पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 200/23 धारा 308/504 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जयवीर पुत्र भोला निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बडौत ।

2-का0 800 घनेन्द्र सिंह थाना बडौत ।

3-का0 949 विकास तालान थाना बडौत ।